

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

जलप्रदाय शाखा :— साकेत भवन आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य दरमाप : 22288, 222672, फैस : 07759-222929, पो. वासन नं. : 12 पिन कोड : 455677

Website : www.Korbamunicipal.in Email : Corporationkorba@gmail.com

फा.क. / 1230 / ज.प्र.स. / 2021 /

कोरबा, दिनांक 17.08.2021

सिस्टम टेंडर नं. 81730

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु व्यवसाय से संबंधित अनुमती निविदाकारों/फर्मों से शेड्यूल अनुसार आईटम दरों पर ई-टेंडर निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (राशि लाख में)	घरोहर राशि	कार्यविधि	निविदा सुलझने की तिथि
1	निगम क्षेत्रांतर्गत जलप्रदाय कार्य एवं नल जल संचालन एवं संधारण हेतु श्रमिक प्रदाय कार्य(पार्श्विक दर पर)	—	20,000/-	01 वर्ष	08.09.2021 से —

शर्तों :-

- निविदा ई-प्रोक्युरमेंट (E-Tendring) के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।
- जिन ठेकेदारों/प्रदायकर्ताओं द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदारों/प्रदायकर्ताओं को आवेदन पत्र के साथ ऑनरशीप यदि साझेदारी कर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, आयकर प्रमाण पत्र/पेन नं. एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि ऑनलाइन जमा करना होगा, स्कैन कर बेवसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- दर निर्धारण पश्चात किसी अनुबंधित निविदाकार से कार्य कराये जाने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
- निविदा उन्हीं ठेकेदारों को दिया जावेगा। जिन्हे इस प्रकार के कार्य का अनुमत दिया जावेगा।
- निविदा अहस्तांतरणीय होगी एवं सर्वान्वयन निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- यिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा।
- किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
- ठेकेदारों/प्रदायकर्ताओं को उपरोक्त कार्य हेतु श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदन के साथ 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग.भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदांतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन करना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- डेल्पर/मजदूरों की सुरक्षा, बीमा, विकित्सा सुविधा, प्रोविडेन्स फंड एवं किसी प्रकार की दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु इत्यादि होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
- ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि राहित गूलप्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम कोरबा की वेब साइट www.korbamunicipal.in पर भी यह टेंडर उपलब्ध है।
- अन्य सूचनाएं नगर पालिक निगम साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- कार्य में लगे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन कलेक्टर द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दर पर करना होगा। श्रमिकों के समस्त भत्ते मेडिकल अवकाश एवं सूर्पूर्ण जवाबदारी श्रम कानून के अंतर्गत पालन करना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य असांतोषजनक होगा बदलने का अधिकार नगर पालिक निगम को होगा एवं ठेकेदार को ऐसे कर्मचारी बदलकर नये कर्मचारी कार्य पर लगाने होंगे।
- कर्मचारियों की संख्या कम होने पर जितने कर्मचारी कम होंगे उतनी मात्रा में स्वीकृत दर पर दिये जाने वाले भुगतान की राशि प्रति दिन के छिसाब से काटी जावेगी तथा संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्धारित संख्या से कम कर्मचारी कार्य पर लगाने की दशा में यदि विभाग द्वारा विभागीय कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है उस दशा में निगम द्वारा होने वाले व्यय की दुगुनी राशि संबंधित ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से काटी जावेगी।
- कार्य के शिकायतों का निराकरण तत्काल संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कराना अनिवार्य होगा।
- ठेकेदार वो शासकीय मानक के अनुरूप श्रमिकों को प्रतिदिन कार्य पर रखना व भुगतान पंजी का संधारण करना, लेबर लाइसेंस, ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन तथा पी.एफ.नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20. ठेकेदार/प्रतिनिधि का कार्य स्थल पर कार्य अवधि में रहना अनिवार्य होगा । ठेकेदार / प्रतिनिधि के मोबाईल नंबर प्रभारी अधिकारी के पास उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को परिचय पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा ।
21. कार्य की अवधि 8 घण्टे की रहेगी । कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति दिन में दो बार कार्य पर उपस्थित होते समय तथा कार्यावधि पूर्ण होने पर बॉयोग्रेट्रिक औनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा ।
22. अनुबंध कर्ता को छ.ग. में प्रवतिल लेबर एक्ट की धाराओं एवं ईएसआई नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा ।
23. कार्य के लिए अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए रखी जाती है परंतु निगम द्वारा कभी भी एक माह का नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा अनुबंधित अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है ।
24. नगर निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में नगर निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जायेगा ।
25. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा यदि अनुबंध के बीच के अवधि में कार्य छोड़ा गया तो नये ठेके से जो हानि नगर निगम को होगी उसकी क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता से की जा सकेगी और उसकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी एवं आगामी 03 वर्ष तक निगम के अन्य किसी भी कार्य से विद्युत माना जावेगा ।
26. समय—समय पर शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के पालन की अनिवार्यता होगी ।
27. अनुबंधकर्ता के द्वारा कार्य पर रखे गये कर्मचारी अनुबंधकर्ता के कर्मचारी होंगे तथा वे इस आधार पर कि उन्होंने नगर निगम कोरबा में कार्य किया है भविष्य में कभी निगम के सेवा में रखे जाने के अधिकारी नहीं होंगे ।
28. रविवार एवं अवकाश के दिनों (रविवार को रोटेशन पद्धति) में कार्य किया जाना आवश्यक होगा ।
29. हड्डताल किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी । हड्डताल करने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा अगानत राष्ट्रीय राजसात कर ली जावेगी ।
30. शासन द्वारा समय—समय पर परिवर्तनशील मंहगाई दर को आपके प्रति श्रमिक निविदा दर के अंतर का लाभ प्रदाय किया जावेगा ।
31. आपात परिस्थितियों में नगर निगम द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कार्य में लगे कर्मचारियों की सेवाएं संबंधी अन्य कार्य में लेने का अधिकार नगर निगम प्रशासन को होगा ।
32. उपरोक्त कार्य शर्त क्र. 01 से 31 तक शर्तों का पालन न करने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को होगा एवं ठेका निरस्त की स्थिति में निगम को होने वाली किसी प्रकार की आर्थिक हानि के ठेकेदार उत्तरदायी होगा ।


 कार्यपालन अभियंता
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छ.ग.)


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

Sub :- Annual Contract for Supply of Helper/Majdoor for Water Works for Nigam Area.

SN	Description	Unit	Qty	Rate
1	Supply /Providing of Helper/Majdoor for day to day Maintanance of rising main/distribution Pipe line,G.I. pipe line C.I pipe line D.I pipe line,PVC pipe line AC pipe line & operation and Maintanance of Nal Jal Yojna at Water Works complete as per direction of Eng. in charge. Helper/Majdoor			
2	Rate per Labour Collector Rate	Per Day Per Person	1	
3	EPF	Per Day Per Person	1	
3	ESIC	Per Day Per Person	1	
4	Contractor Profit	Per Day Per Person	1	



Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)



Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Executive Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)